

# इस्तहार / नोटिस

## न्यायालय नियत प्राधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट पीलीभीत

वाद संख्या- 08 सन् 2012

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, पीलीभीत जिला-पीलीभीत।

बनाम्

श्री के०ए० गुप्ता पुत्र स्व० प्यारे लाल निवासी- सी-142, आवास विकास कालोनी, पीलीभीत।

नोटिस अन्तर्गत धारा (4) उपधारा (1) सार्वजनिक ग्रहादि 22/92

चूँकि मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्न वर्णित आधारों से सन्तुष्ट हूँ कि अधोलिखित सार्वजनिक सम्पत्ति पर अनाधिकृत रूप से काबिज है और आपको उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, से बेदखल कर दिया जावे।

### आधार

1. यह कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, पीलीभीत द्वारा जयसन्तरी देवी आवास एवं गृह स्थान योजना के अन्तर्गत आपको क्रय विक्रय पद्धति से भवन संख्या सी-142 आवंटित किया गया था, जिसका विवरण अनुसूची में अंकित है। दिनांक 09.04.1988 को किया गया था और इसके सम्बन्धित में आपने प्रार्थी के साथ दिनांक 23.05.1989 को हायर परचेज एग्रीमेन्ट का मुहायदा किया तथा दिनांक 12.06.1989 को भवन पर कब्जा प्राप्त कर लिया। आप इस साक्ष्य की परिषद की उक्त सम्पत्ति पर काबिज हैं।
2. यह कि उक्त मुहायदे के अनुसार आपकी हैसियत उक्त सम्पत्ति पर दिनांक 01.04.1989 से दिनांक 31.03.2014 तक केवल किरायेदारी की थी और आपको बिना किसी तकाजे के आवास एवं विकास परिषद पीलीभीत के खाते में प्रतिमाह मुबलिंग रुपया 372-00 बतौर किश्त के जमा करने थे। उक्त किश्त की अदायगी की शर्तों के अनुसार 30 दिन की छूट प्राप्त थी।
3. यह कि निर्धारित अवधि में किश्त जमा न करने की दशा में देय तिथि से देय धनराशि का 18 प्रतिशत दंड ब्याज देय होता है।
4. यह कि मुहायदे के शर्तों के अनुसार आवंटी तीन से अधिक किश्तों की अदायगी में चूक करता है तो उसकी किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।
5. यह कि आपने इस अनुबन्ध के अनुसार किश्तों की अदायगी नहीं की और तीन से ज्यादा किश्तों की अदायगी में चूक की जिसके कारण आपकी किरायेदारी स्वतः समाप्त हो गई और दिनांक 01.08.2011 तक आपकी और बाबत किश्त रु. 42,062-15 एवं बाबत दण्ड ब्याज रुपया 29,561-20 देय है। जिसके बिना पर आपका पंजीकरण एवं आवंटन परिषद के कार्यालय के पत्र संख्या 266 दिनांक 16.12.1995 द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसकी सूचना आपको पंजीकृत डाक से दिनांक 16.12.1995 को भेज दी गयी थी और आपको निर्देशित किया गया था कि आप प्रार्थी को इस सम्पत्ति/स्थान पर कब्जा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-23 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिविल लाइन, बरेली को 15 दिन के अन्दर सौंप दें।
6. यह कि आपने अभी भी मकान का कब्जा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-23, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिविल लाइन, बरेली को हस्तगत नहीं किया और अभी भी आप उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध अध्यासन में हैं और आप बिना किसी अधिकार के भवन में अवैध रूप से रह रहे हैं।

अतः अधिनियम की उपधारा 1 धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में, मैं आपको एतद्वारा सूचित करता हूँ कि आप दिनांक 16 माह 9 सन् 2013 या उससे पूर्व कारण बताये कि क्यों न बेदखल आदेश पारित किया जावे।

### अनुसूची-

टैगोर नगर स्थित खण्ड - संख्या एक का भवन संख्या सी-142

पूरब - दु०आ० वर्ग भवन संख्या-सी-139, पश्चिम- सड़क,

उत्तर - दु०आ० वर्ग भवन संख्या-सी-141,

दक्षिण - दु०आ० वर्ग भवन संख्या-सी-143

दिवस 16 माह 08 सन् 2013 मेरी हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट  
पीलीभीत

उ.प्र. आवास विकास परिषद की ओर से सम्बन्धित आवंटियों के संज्ञान हेतु नोटिस प्रकाशित है।

IS 15700:2005



संकेतित प्रमाणित

**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.com> E-mail: [upavp@sanchar.net.in](mailto:upavp@sanchar.net.in)

भारतीय मानक चिह्न



IS



IS 15700:2005